अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः अनु.जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2013/457 दिनांक 7/9/13

प्रति,

विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
समस्त अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय – अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के छात्रवृति फार्म के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के द्वारा परीक्षा फीस वापस प्राप्त करने हेतु उपस्थिती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये जिससे ज्ञात हुआ है कि कई छात्र/छात्राओं के द्वारा पूर्व सत्र में छात्रवृति आवेदन फार्म नहीं भरे गये हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं से शासन के नियमानुसार शिक्षण शुल्क जमा नहीं कराई जाती है। इनकी शिक्षण शुल्क छात्रवृति के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है। परन्तु कई छात्र/छात्राओं के द्वारा छात्रवृति फार्म न भरने से विश्वविद्यालय को शासन से शिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं हुई है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशकों से आग्रह है कि वे पूर्व सत्र 2011–12 एवं 2012–13 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की जानकारी प्राप्त करने का कष्ट करें कि कितने छात्रों के द्वारा छात्रवृति आवेदन फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये है।

भवदीय

7/9/13

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वलियर।
2. कुलसचिव के निंजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसचिव
अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ